History of JMC

जयपुर नगर निगम इतिहास के झरोखे से

भारत में नगर प्रशासन का अस्तित्व तथा विकास प्राचीन समय से है। मैगेस्थनीज ने अपनी पुस्तक ''इण्डिका'' में लिखा है कि मौर्यों ने अपनी राजधानी पाटलीपुत्र के लिए नगर प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली विकसित की थी। मुस्लिम काल में नगर प्रशासन ''कोतवाल'' नामक अधिकारी द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। ब्रिटिश काल में भारत में प्रचलित देशीय संस्थाओं के ढांचे को अपनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1687 में मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थपना की। इसके बाद 1793 के चार्टर एक्ट के अधीन मद्रास, कलकद्माा तथा बम्बई तीनों महानगरों में नगर निगम स्थापित किए गए। सन् 1882 में लार्ड रिपन के प्रस्ताव से नगर प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण प्रारम्भ हुआ। स्थानीय सरकार के इतिहास में अन्य महद्मवपूर्ण चरण 1909 में विकेन्द्रीयकरण पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट से प्रारम्भ हुआ। इस कमीशन ने नगर अधिकारियों को अधिक स्वायद्मा शक्तियां देने पर बल दिया जो कि 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत विषयों में एक अधिनियम बन गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् नगर प्रशासन के क्षेत्र में महद्मवपूर्ण परिवर्तन किए गए। पिछले दो–तीन दशकों के दौरान नगरीय संस्थाओं को नया प्रोत्साहन मिला। सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों की प्रथा को समाप्त करके नगरीय संस्थाओं को अधिक लोकतान्त्रिक बनाया गया। 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय प्रशासन में निर्वाचित सदस्यों को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं।

नगरीय स्थानीय स्वायद्मा शासन के क्षेत्र में राजस्थान कुछ अग्रणी प्रांतों में रहा है। इस प्रदेश में प्रथम नगर पालिका की स्थापना आबू में 1865 में हुई थी। 1885 तक बीकानेर, जोधपुर तथा कोटा में भी नगरपालिकायें स्थापित की गई थीं किन्तु इन संस्थाओं पर अंग्रेजी सरकार की हुकूमत होने के कारण ये नाम–मात्र की स्वायद्माता का उपभोग कर पाती थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् 22 देशी रियासतों को मिलाकर राजस्थान बना तक सामान्य कानून की आवश्यकता अनुभव की गई। 1951 में राजस्थान कस्बा नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया जिसके अन्तर्गत प्रमुख नगरों को छोड़कर सभी कस्बों की नगरपालिकाएं शासित होने लगीं। 1959 में अजमेर एवं माउंट आबू राजस्थान में सम्मिलित किये गये, तत्पश्चात् राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी नगरों तथा कस्बों की नगरपालिकाओं के प्रशासन के लिए 1959 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत ही राजस्थान के विभिन्न नगरों तथा कस्बों की नगर परिषदों और नगर पालिकाओं का संचालन होता है। आज राजस्थान में लगभग 182 निकाय कार्यरत हैं। जिसमें से 11 प्रथम श्रेणी, 39 द्वितीय श्रेणी, 58 तृतीय श्रेणी तथा 71 चतुर्थ श्रेणी की पालिकाएं हैं।

अतीत से लेकर वर्तमान तक जयपुर के शहरी स्वायद्मा शासन के सफर का वृतांत उतना ही रोचक है जितना ''एक था राजा'' की कहानियों में किंवदंतियां होती हैं। जयपुर नगर का विधिवत गठन 1727 में महाराजा जयसिंह ने अत्यन्त योजनाबद्ध रूप से किया था। इस नगर को सुव्यवस्थित रूप से चलाने और इसके सौन्दर्य को यथावत बनाये रखने हेतु 1869 में महाराजा रामसिंह ने शहर में नगर कमेटी की स्थापना करवाई ताकि नागरिकों की सुविधाओं का समय≤ पर ध्यान रखा जाए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जयपुर नगर का इतिहास स्वायद्मा शासन संस्थाओं में महद्मवपूर्ण प्रयास कहा जा

सकता है। जब लार्ड मेयों भारत के गवर्नर जनरल बने तब महाराजा रामसिंह ही जयपुर के सिंहासन पर आसीन थे। महाराज रामसिंह अद्‌भुत व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी मैत्री लार्ड मेयो से थी। इनकी मैत्री के कारण ही मेयों द्वारा महाराजा रामसिंह को नगर कमेटी की स्थापना के लिए प्रेरित किया गया। जब 1870 में प्रथम स्वायत्त्रा शासन सम्बन्धी कानून लागू हुआ तब सम्पूर्ण देश में स्वायत्त्रा शासन की एक लहर सी दौड़ गई क्योंकि इसी कानून के अन्तर्गत देश के प्रमुख नगरों में परिषदों की स्थापना हुई। तब जयपुर नगर कमेटी को इस कानून के तहत सबसे पहले बसाया गया।

नगर परिषद का गठन होने से पूर्व नगर की सफाई का काम स्वास्थ्य विभाग के अधीन था। इसके प्रारम्भिक कार्यो में सफाई व्यवस्था ही प्रमुख कार्य रखा गया था। जब नगर परिषद का गठन हुआ तब इसको सफाई के साथ शहर को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया। सन् 1880 में जब जयपुर में सवाई माधोसिंह का शासन काल था तब नगर कमेटी को कुछ और मजबूत स्वरूप प्रदान किया गया था। इसी समय पहली बार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और सफाई संबंधी ट्रामवें, सार्वजनिक तहारतों, कूड़े के लिए ट्रैचिंग ग्राउण्ड्स आदि बनाये गये थे। जयपुर नगर परिषद शहर के विकास की ओर अग्रसर थी। तभी भारत के वायसराय के पद पर लार्ड रिपन की नियुक्ति की गई जो कि लार्ड मेयो के समान ही स्व–शासन के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्थानीय स्व–शासन अधिनियम 1880 को पारित कर देश भर में इसे लागू किया और जयपुर नगर परिषद भी स्व–शासन की इस दौड़ में एक कदम आगे बढ़ा।

परिषद की सीमायें उस समय रेजीडेंसी, रामबाग पैलेस, मोती डूंगरी, गलता, लाल डूंगरी, काला महादेव, ब्रहापुरी, शीतल निवास व नाला अमानीशाह तक थी। परिषद की आय उस समय काफी सीमित थी। वह सरकार के एक विभाग के रूप में कार्य करती थी। इसकी सारी आय सरकारी खजाने में भेजी जाती थी और सरकार ही इसका सारा खर्च वहन करती थी। लगभग चार दशक तक परिषद अपने सीमित अधिकारों के अन्तर्गत कार्य करती रही, लेकिन जब महाराजा सवाई मानसिंह 1922 में जयपुर के सिहांसन पर आसीन हुए तब परिषद के भाग्य का एक नया अध्याय लिखा गया और परिषद की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। अपने जन्म से लेकर 1928 तक परिषद को म्युनिसिपल कमेटी कहा जाता था किन्तु तत्पश्चात् इसे म्यूनिसिपल बोर्ड कहा जाने लगा और पहली बार म्यूनिसिपल नियम एवं उपनियम बनाये गये। अभी तक म्यूनिसिपल प्रशासन पुरानी परम्पराओं के तहत जिन्हें ''दस्तूर–उल–अमल'' कहा जाता था, के अनुसार ही संचालित होता था लेकिन नये नियम आने से बोर्ड को कुछ व्यापार–धंधों पर ''लाइसेंस फीस'' लागू करने एवं वसूल करने का अधिकार दिया गया।

इसके पूर्व म्यूनिसिपल बोर्ड ने कभी कोई कर लागू नहीं किया था न ही सरकार ने उस प्रकार के अधिकार दिये थे। इस समय बोर्ड के कुल मिलाकर 26 सदस्य होते थे और यह सब गणमान्य एवं प्रतिष्ठित नागरिकों में से थे जिन्हें सरकार नामजद करती थी। बोर्ड को अब मकान बनाने एवं पुनःनिर्माण के नियंत्रण, भूमि के वि{य, भूमि को किराये पर देने, तहबाजारी से किराया वसूल करने, बैलगाड़ी, ठेला एवं सवारी गाड़ियों का नियंत्रण करने एवं व्यापार–धंधों पर लाईसेंस लगाने के अधिकार दे दिये गये थे। इस समय के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बोर्ड की वार्षिक आय एक लाख रूपए एवं व्यय लगभग 80 हजार रूपए था। लगभग एक दशक तक परिषद के प्रशासन में सुधार एवं इसके अधिकारों में वृद्धि का {म चलता रहा और जब यह एक सुयोग्य एवं कुशल प्रशासन का विकास कर रही थी तभी स्वायत्त्रा शासन के संबंध में युगांतकारी निर्णय किया गया।

सन् 1937 में जयपुर सरकार ने अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित शासन देने का निश्चय किया और सन् 1938 में जयपुर नगर पालिका का गठन किया गया। इस

अधिनियम के अनुसार निर्वाचकों को अपना प्रतिनिधि चुनकर बोर्ड में भेजने का अधिकार मिला था। इस समय संस्था में स्वायत्ता शासन युग का प्रारम्भ हुआ। तत्पश्चात् 1 जनवरी 1944 को नगर पालिका अधिनियम 1943 के अनुसार यह संस्था नगर परिषद के रूप में {मोन्नत कर दी गई। समय≤ पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। 1 नवम्बर 1946 से संस्था का कोष भी स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया। धीरे–धीरे संस्था के कार्यक्षेत्र व क्षेत्रफल में बढ़ोंतरी होती गई।

सन् 1959 में राजस्थान सरकार ने नगर पालिकाओं के संबंध में एक नया अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार नामजदगी की प्रणाली को लगभग समाप्त कर दिया गया। 10 नवम्बर 1961 को नगर परिषद के चुनाव कराये गये। इसके साथ ही यह निर्वाचन प्रणाली सुदृढ़ होती चली गई। परन्तु उस समय परिषद की आर्थिक स्थिति निरन्तर खराब बनी रही। इसी कारण लंबे समय तक परिषद सफाई के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकी। काफी समय पश्चात् भारत सरकार की सहायता से परिषद ने भूमिगत नालियां बनाने का कार्य किया। सन् 1959 से 1992 तक का लम्बा समय परिषद द्वारा शहर का विकास करते हुए व्यतीत हुआ। इस दौरान शहर की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई व नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना एक दुष्कर कार्य हो गया।

74वां संविधान संशोधन

देश की सम्पूर्ण आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में नगरीय क्षेत्रों की अपनी एक विशेष भूमिका है। इस भूमिका को निभाने के लिए आवश्यक है कि स्वायत्ता प्रशासन नगरीय क्षेत्रों में सुदृढ़ हो, सुनियोजित हो और प्रभावी रूप से संचालि हो। यह भी आवश्यक है कि शहरी योजना की {ियान्विति व संचालन में क्षेत्रीय नागरिकों की प्रभावी भागीदारी हो। इसी संदर्भ में देश के 74वें संविधान संशोंधन का अपना एक विशेष महत्व है। इससे इन स्थानीय निकायों को न सिर्फ एक विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, अपितु यह भी सुनिश्चित किया है कि ये संस्थाएं केवल नाम–मात्र की न होकर स्वायत्ता प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाये।

संविधान संशोधन के अनुरूप ही राज्य में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में आवश्यक प्रावधान तय किये जाकर राज्य की कुछ नगर पालिकाओं में वर्ष 1994 में एवं शेष नगर पालिकाओं में वर्ष 1995 में चुनाव करवाये गये।

निर्वाचित बोर्ड

29 नवम्बर 1994 को जयपुर नगर निगम के चुनाव सम्पन्न हुये। इस चुनाव में शहर को कुल 70 वार्ड़ों में विभक्त किया गया। इन वार्ड़ों में से 27 सामान्य वर्ग, 23 महिलाओं, 8 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जन–जाति एवं 10 अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किए गए। निर्वाचित प्रतिनिधियेां ने जयपुर शहर के प्रथम महापौर के रूप में श्री मोहन लाल गुप्ता एवं उप महापौर के रूप में श्री घनश्याम शर्मा का चुनाव किया। वर्ष 1999 में निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल सफलता पूर्वक पूर्ण हुआ। 29 नवम्बर 1999 को जयपुर नगर निगम में दूसरे निर्वाचित बोर्ड ने महापौर श्रीमती निर्मला वर्मा के नेतृत्व में कार्यभार संभाला तथा उपमहापौर के रूप में श्री पवन शर्मा निर्वाचित हुए।

16 अगस्त 2002 को श्रीमती वर्मा के असामयिक निधन के कारण उपमहापौर पवन शर्मा ने कार्यकारी महापौर का पद ग्रहण किया।

74वें संविधान संशोधन में निर्धारित नियमों के अनुरूप वर्ष 2002 में शहर के वार्ड 36 से निर्वाचित होकर जयपुर नगर निगम के महापौर के रूप में श्रीमती शील धाभाई ने कार्यभार

संभाला एवं शहर के विकास को नये आयाम प्रदान किये।

जयपुर नगर निगम का कार्यक्षेत्र

निर्वाचित नगर निगम बोर्ड का पहला ध्येय शहर का विकास जन–आकांक्षाओं के अनुरूप करने का रहा। अपने इस उशेश्य को पूरा करने के लिए सदस्यों ने कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं कड़ी मेहनत के साथ शहर की व्यवस्थाओं पर पूर्ण रूप से ध्यान देना प्रारम्भ किया। जिसके कारण निगम के सैद्धान्तिक कार्यो में बुनियादी परिवर्तन आया। निगम के कार्य अब अधिक परदर्शी एवं सार्थक बनने लगे। विकास कार्यो को आम जनता से जोड़ा गया जिससे इन कार्यो के प्रति नागरिकों का लगाव उत्पन्न हुआ। विकास कार्यो को और अधिक जनोपयोगी बनने के प्रयास किये गये। प्रथम निर्वाचित बोर्ड ने जयपुर शहर को स्वच्छ, सुन्दर एवं हरा–भरा बनाने का संकल्प लिया एवं नगर के विकास में कई ऐतिहासिक अध्यायों को जोड़ा है। वर्तमान में जयपुर नगर निगम का कार्यक्षेत्र 70 वार्ड़ों में विभक्त है। सम्पूर्ण शहर को प्रशासनिक दृष्टिकोण्से निम्न 8 जोन में विभक्त किया गया है :–

- मोतीडूंगरी जोन
- हवामहल (पश्चिम) जोन
- हवामहल (पूर्व) जोन
- विद्याधर नगर जोन
- सिविल लाइन जोन
- सांगानेर जोन
- मानसरोवर जोन
- आमेर जोन

प्रत्येक जोन में आने वाले वार्ड निम्न प्रकार हैं :

मोती डूंगरी जोन	वार्ड सं. 35. 38 से 39. 44 से 51	(10 वार्ड)
हवामहल (पूर्व)	वार्ड सं. 49. 52 से 59. 72 से 73.	(11 वार्ड)
हवामहल (पश्चिम)	वार्ड सं. 60 से 62. 64 से 65. 70 से 71.	(07 वार्ड)
विद्याधर नगर	वार्ड सं. 1 से 10, 15 से 17. 67 से 69	(17 वार्ड)
सिविल लाइन	वार्ड सं. 11 से 14, 18 से 22, 41 से 43, 63	(13 वार्ड)
सांगानेर	वार्ड सं. 30 से 34. 36 से 37	(07 वार्ड)
मानसरोवर	वार्ड सं. 23 से 29, 40	(08 वार्ड)
आमेर	वार्ड सं. 74 से 77	(04 वार्ड)

जयपुर नगर निगम का प्रजातांत्रिक स्वरूप
महापौर
उपमहापौर

सदस्य (लोकसभा एवं राज्य विधान सभा के क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद)

निर्वाचित सदस्य – 77 (प्रत्येक का चुनाव 77 वार्ड़ो से व्यस्क मताधिकार के माध्यम से 5 वर्ष के लिये किया जाता है)

सहवरित सदस्य – 3 शहर के प्रबुद्ध नागरिक एवं विद्वान जिन्हें नगरीय प्रशासन की जानकारी है)

18 समितियां
(राज्य सरकार द्वारा 21 समितियों के गठन का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार गठित किया जा सकता है। प्रत्येक समिति की सदस्य संख्या 7 होगी।)

जयपुर नगर निगम का प्रशासनिक स्वरूप
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आयुक्त (मुख्यालय)
आयुक्त (सतर्कता)
आयुक्त (कार्मिक)
आयुक्त (राजस्व एवं गृहकर)

आयुक्त (सिविल लाइन जोन)
आयुक्त एम.डी. जोन
आयुक्त (हवामहल पूर्व जोन)
आयुक्त (हवामहल पश्चिम जोन)
आयुक्त (वी.डी. जोन)
आयुक्त (सांगानेर जोन)

आयुक्त मानसरोवर जोन
आयुक्त आमेर जोन